ग्राम पंचायत मेहदीगंज

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
उषा देवी
मो0 9621278746

निवास
ग्राम मेहदीगंज पो0 राजातालाब
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

उ0प्र0
ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

प्रधान संघ अध्यक्ष

रामप्रकाश
अध्यक्ष/ग्राम प्रधान
मो.9838632571

ग्राम पंचायत-बभनियाँव
न्याय पंचायत- भवानीपुर
विकास खण्ड आराजी लाईन्स
जिला- वाराणसी

पत्रांक.....

दिनांक. 26-11-15.

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः— भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

(रामप्रकाश)
प्रधान संघ अध्यक्ष

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

क्षेत्र पंचायत प्रमुख आराजी लाइन्स

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ब्लाक प्रमुख
श्रीमती शकुन्तला देवी
मो0 9415446086

निवास
ग्राम व पो0 बीरभानपुर
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

(श्रीमती शकुन्तला देवी)
क्षेत्र पंचायत प्रमुख

शकुन्तला
प्रमुख
क्षे० पं०–आराजीलाइन
वाराणसी

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत मोगलाबीर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
सिद्धनाथ
मो0 9415869901

निवास
ग्राम मोगलाबरी पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका--कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत भिखारीपुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
दूधनाथ
मो0 9452186697

निवास
ग्राम भिखारीपुर पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत नागेपुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
मुकेश कुमार
मो0 9415870032

निवास
ग्राम नागेपुर पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी हैं। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कहीं से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर
प्रधान
ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत कल्लीपुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
तेजनाथ
मो0 9936722951

निवास
ग्राम कल्लीपुर पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत कुण्डरियाँ

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
संतोष गिरि
मो0 9454737182

निवास
ग्राम कुण्डरिया पो0 जन्सा
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक...26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत गनेशपुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
सन्जू देवी
मो0 8400129199

निवास
ग्राम गनेशपुर पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत बेनीपुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
सदानन्द
मो0 9452027119

निवास
ग्राम बेनीपुर पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत चन्दापुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
सावित्री देवी
मो0 9935346851

निवास
ग्राम चन्दापुर पो0 महगॉव
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थितिं मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान सावित्री

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत कचहरियाँ

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
अन्जू देवी
मो0 8009830139

निवास
ग्राम कचहरियॉ पो0 महगॉव
वाराणसी।

पत्रांक............ दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत रखौना

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
राजेश कुमार
मो0 9455341728

निवास
ग्राम रखौना पो0 राजातालाब
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

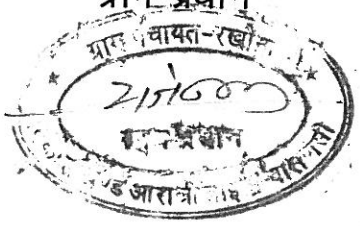

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत देउरा

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
राजेश कुमार वर्मा
मो0 9919007254

निवास
ग्राम देउरा पो0 काशीपुर
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत ढोलापुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
स्वयं राजभर
मो0 9696528626

निवास
ग्राम ढोलापुर पो0 काशीपुर
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26.11.15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत भदरासी

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
कल्पनाथ
मो0 9005635345

निवास
ग्राम भदरासी पो0 काशीपुर
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत जन्सा

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
शन्ति देवी
मो0 9452071773

निवास
ग्राम जन्सा पो0 जन्सा
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत खजुरी

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
लक्ष्मी सिंह
मो0 9454860088

निवास
ग्राम खजुरी पो0 मिर्जामुराद
वाराणसी।

पत्रांक............ दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

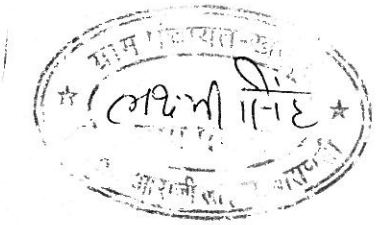

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

ग्राम पंचायत परमन्दापुर

विकास खण्ड – आराजी लाइन्स जिला वाराणसी।

ग्राम प्रधान
राजेश कुमार
मो0 9935537176

निवास
ग्राम परमन्दापुर पो0 सरौनी
वाराणसी।

पत्रांक.....

दिनांक 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

महेन्द्र सिंह पटेल
विधायक (स०पा०)
387–रोहनियाँ, वाराणसी।
उत्तर प्रदेश

निवास– ग्राम व पो0 बीरभानपुर,
तहसील : राजातालाब,
जनपद : वाराणसी, उ0प्र0
मोबाइल : 08765955090, 9415446086

दिनांक : 26-11-15

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड
पिकअप भवन तृतीय तल बी0 ब्लाक
विभुति खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ0प्र0।

विषयः– भीषण जल संकट के मददेनजर मेहदीगंज में स्थापित कोका–कोला संयत्र के भूजल दोहन पर रोक लगाये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय!

आपको अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान कोका–कोला वेवरज प्राइवेट लिमिटेड मेहदीगंज द्वारा लगातार किये जा रहे जल दोहन से मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में हमलोगों ने 8 अप्रैल 2013 को आपको पत्र के माध्यम से अवगत कराया था । सम्बन्धित विषय का संज्ञान लेकर केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए 12 अगस्त 2014 को मेहदीगंज में कोका–कोला कम्पनी के विस्तार के आवेदन को निरस्त कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता व जनप्रतिनिधि काफी प्रसन्न है।

पिछले साल की तरह इस साल भी मानसूनी वर्षा कम हुई, अर्थात पिछले साल 42 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी वही इस साल 47 प्रतिशत कम वर्षा हुई है जिससे मेहदीगंज क्षेत्र में पानी की भीषण संकट उत्पन्न हो गयी है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने

जल की भीषण किल्लत को देखते हुए आराजी लाइन ब्लाक को अधिक दोहित (Over Exploited) घोषित किया है जो कि देश में भूजल की सबसे भयावह स्थिति मानी जाती है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र की स्थापना 1999 में हुई थी, उस समय मेहदीगंज क्षेत्र का भुजल स्तर सुरक्षित था, कोका–कोला द्वारा लगातार 50,000 क्युबिक मीटर भूजल प्रतिवर्ष दोहन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्राम प्रधान व जनप्रतिनिधियों की चिन्ता इस बात पर है कि जहां एक तरफ मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, वही कोका–कोला द्वारा अपने मुनाफे के लिए इतनी बडी मात्रा में भूजल का दोहन करना कही से भी स्वीकार्य नही है। भूजल संकट का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों, किसानों, गरीब जनता व मवेशियों पर पड़ रहा है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेहदीगंज क्षेत्र में भूजल की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेहदीगंज कोका–कोला संयत्र द्वारा लगातार किये जा रहे भूजल दोहन पर तत्काल रोक लगायी जाये।

हस्ताक्षर

(महेन्द्र सिंह पटेल)

विधायक

महेन्द्र [illegible] पटेल
(विधायक)
387 [illegible], वाराणसी

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित प्रतिलिपिः–

1. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, नई दिल्ली।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. ग्रामविकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. माननीय मुख्यमंत्री, लखनऊ उ0प्र।
7. माननीय सांसद जी, वाराणसी उ0प्र0।
8. जिलाधिकारी, जनपद वाराणसी, उ0प्र0।